



कार्यालय प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा।

Phone No: 0562-2260353, 2463880 Fax No: 0562-2260965

Website: www.snmcagra.in E-Mail: deansnmc@yahoo.in

संख्या: ई0सी0-1/2023/1031

दिनांक : 26/10/2023

—सेवायोजन विज्ञप्ति—

उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में इस चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों में दिनांक 25.05.2023 को सेवायोजन विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के अनुपालन में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्यों, सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार की कार्यवाही दिनांक 28.10.2023 (शनिवार) को की जानी थी, परन्तु दिनांक 28.10.2023 को राजपत्रित अवकाश (महर्षि वाल्मीकी जयंती) होने के कारण उक्त साक्षात्कार दिनांक 30.10.2023 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य प्राचार्य कार्यालय में पूर्ण की जायेगी।

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह National Medical commission/Medical Council of India, Minimum Qualification for Teachers as per Medical Institutions Regulations, 2022 Dated 14.02.2022 के मानको के अनुसार जो अभ्यर्थी अर्हता पूर्ण करते हैं, वे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 01 पासपोर्ट फोटों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उक्त दिनांक व समय पर उपस्थित होकर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। पदों का विवरण निम्नवत् है—

सुपर स्पेशियलिटी विभाग के सुगम संचालन हेतु रिक्त पदों का विवरण

S. N.	Department	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
1.	Endocrine Sugery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Endocrinology	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
3.	Pulmonary and Critical Care Medicine	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
4.	Paediatric Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.	Medical Oncology	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
6.	Rheumatology	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7.	Surgical Oncology	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
TOTAL		01	01	01	01	01	02	01	01	02	02	02	01

उक्त संविदारत पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ तदोपरान्त उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर से पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों को समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या: 104/2019/5044(1)271-1- 2019-जी-63/2008, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (आचार्य हेतु रू0 1,35,000/- सह-आचार्य हेतु रू0 1,20,000/- तथा सहायक आचार्य हेतु रू0 90,000/-) प्रतिमाह देय होगा।
- वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी। (Saving Clause- Not with standing anything contained in these Regulations, any appointment made under the Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 or the recommendation of Councils prior to that, shall be protected.)
- शासनादेश संख्या: 562/71-1-2000-जी0-63/2008, दिनांक 10.06.2020 के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य-60 वर्ष, सह-आचार्य-64 वर्ष एवं आचार्य-68 वर्ष निर्धारित है। उक्त आयु वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
- संस्थान में प्रतिदिन की निर्धारित कार्य अवधि (प्रातः 08 बजे से सांय 04 बजे तक) में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- ओपीडी (कॉल-डे) के दिन संविदा चिकित्सा शिक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।

(प्रधानाचार्य)
स.ना.मे.कॉ. आगरा

7. संविदा चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान प्रधानाचार्य को सूचित करना होगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा ड्यूटी उपलब्ध रहना होगा।
9. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती/स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः बढ़ाया जा सकता है।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 01 माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
12. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "उनके विरुद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी"।

(प्रधानाचार्य)

एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा।

संख्या एवं दिनांक तद

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उत्तर प्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/झाँसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/कन्नौज/ आजमगढ़/जालौन/सहारनपुर/बोंदा/बदौयू।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराईच/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ़/एटा/मिर्जापुर/सिद्धार्थनगर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर।
6. एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड हेतु।

(प्रधानाचार्य)

एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा।

(प्रधानाचार्य)

स.न.मे.कॉ., आगरा